(1) मद्यनिषेध विभाग की विशिष्टियाँ, कार्य व कर्तव्य :

भारत के संविधान के अनुच्छेद-47 में मादक वस्तुओं की बिक्री और उपभोग के निषेध का प्राविधान नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया गया है। संविधान की उक्त अवधारणा को साकार करने एवं समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से मुक्त करने का उद्देश्य लेकर मद्यनिषेध विभाग वर्तमान में समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।